बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 453718 पटना, दिनांक:- 16/01/2020

ग्रा0वि0-5/इं03आ0यो0(विविध पत्राचार)-107-07/2014

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वैध उत्तराधिकारी को योजना का लाभ स्वीकृत करने की प्रक्रिया के संबंध में।**

प्रसंग:- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक- J-11014/01/2016-RH दिनांक-18.09.19

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सम्प्रति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में उनके वैध उत्तराधिकारी को योजना अन्तर्गत देय सहायता राशि का भुगतान करने हेतु बैंक खाता आदि परिवर्तित करने के निमित्त वांछित अभिलेख की प्राप्ति एवं प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अुनसार की जा रही है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उनके वैध उत्तराधिकारी को योजना का लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त मंतव्य / सुझावों के आलोक में आवश्यक कागजातों / प्रक्रियाओं का निर्धारण निम्न रूप से प्रस्तावित किया गया है:-

A. **वैसे मृत लाभार्थी जिनका परिवार तो है किन्तु आवास सॉफ्ट पर उनका** SECC Household ID **प्रदर्शित नहीं हो रहा है अथवा पारिवारिक विवरण** Unknown **बताया जा रहा है:-**

I. इस स्थिति में निम्नांकित कागजात प्राप्त किए जाएगें।

i. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण-पत्र।

ii. आवास सॉफ्ट पर SECC Household ID अथवा पारिवारिक विवरण प्रदर्शित नहीं होने का Screen Shot.

iii. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध उत्तराधिकारी पारिवारिक सदस्यों का प्रामाण-पत्र, जिसमें वैध उत्तराधिकारी का मृत लाभार्थी के उपर आश्रित होने का उल्लेख हो (मृत लाभार्थी के पत्नी/पति के मामले को छोड़कर)।

iv. एक से अधिक वैध उत्तराधिकारी होने की स्थिति में वैध उत्तराधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटन के संबंध में अन्य वैध उत्तराधिकारियों का अनापत्ति / सहमति पत्र।

v. मृत लाभार्थी के बदले में आश्रित वैध उत्तराधिकारियों की सूची से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटन करने हेतु वैध उत्तराधिकारी का चयन संबंधी ग्राम सभा की कार्यवाही।

II. मृत लाभार्थी के बदले में वैध उत्तराधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटन हेतु आवास सॉफ्ट पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

a. सभी प्रक्रियाऐं प्रखण्ड स्तर पर आरम्भ किए जाएगें।

b. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त कंडिका (I) में वर्णित कागजातों की वैधता सुनिश्चित की जाएगी।

c. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के Login से उपर्युक्त कंडिका (I) में वर्णित कागजातों एवं उसके आधार पर मृत लाभार्थी के बदले आवास आवंटन हेतु प्रस्तावित वैध उत्तराधिकारी का नाम आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाए।

d. आवास आवंटन हेतु वैध उत्तराधिकारी के संबंध में आवास सॉफ्ट पर निबंधन हेतु अपेक्षित सभी कागजातों के साथ ही उनके बैंक खाता का विवरण आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाएगा।

e. मृत लाभार्थी के बदले वैध उत्तराधिकारी का नाम एवं अन्य विवरण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के Login से आवास सॉफ्ट पर प्रस्तावित किए जाएगें तथा जिला स्तरीय Login ID से अनुशंसा के उपरान्त राज्य स्तर से OTP द्वारा Approve किया जाएगा।

B. वैसे मृत लाभार्थी जिनका वैध उत्तराधिकारी परिवार / नामांकित व्यक्ति (Nominee) नहीं है।

I. इस स्थिति में निम्नांकित कागजात प्राप्त किये जाएगें:-

i. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण-पत्र।

ii. SECC Data में मृत लाभार्थी के SECC ID में परिवार प्रदर्शित नहीं होने संबंधी Screen-Shot.

iii. मृत लाभार्थी के नाम के आवास को प्रतीक्षा सूची के अगले वरीयतम परिवार को आवंटित करने संबंधी ग्राम सभा की कार्यवाही।

II. उपर्युक्त कागजात प्राप्त होने के बाद निम्नांकित प्रक्रियाएं अपनायी जाएगीं:-

i. ग्रामसभा की कार्यवाही प्राप्त होने के बाद उक्त के संबंध में ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर 30 दिनों की अवधि में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी।

ii. प्राप्त आपत्ति को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को विचारार्थ भेजी जाएगी।

iii. निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर मृत लाभार्थी को प्रतीक्षा सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

iv. आपत्ति प्राप्त होने की स्थित में आपत्ति की जाँच जिला के प्रखण्ड स्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं अन्य एक पदाधिकारी के संयुक्त रूप से करायी जाएगी तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

II. आवास सॉफ्ट पर मृत लाभार्थी के बदले में प्रतीक्षा सूची के अगले वरीयतम परिवार को निगमित करने की प्रक्रिया निम्न रूप से की जाएगी:-

a. लाभार्थी को सहायता राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में:-

i. प्रक्रिया प्रखण्ड स्तर से आरम्भ की जाएगी।

ii. मृत लाभार्थी को प्रतीक्षा सूची से हटाने तथा प्रतीक्षा सूची के अगले वरीयतम परिवार का नाम प्रस्तावित करने संबंधी उपर्युक्त बिंदु (I) के अनुसार प्राप्त कागजातों को प्रखण्ड के अधिकृत कर्मी द्वारा आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाएगा।

iii. प्रखण्ड स्तरीय अधिकृत कर्मी द्वारा प्रतीक्षा सूची के अगले वरीयतम परिवार का आवास सॉफ्ट पर निबंधन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

iv. प्रखण्ड स्तर से एतद् संबंधी प्रस्ताव आरम्भ करने के बाद जिला स्तरीय लॉगिन से अनुशंसा एवं राज्य स्तर से OTP के द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रतीक्षा सूची से मृत लाभार्थी का नाम हटेगा तथा प्रतीक्षा सूची के अगले वरीयतम परविार को मृत लाभार्थी के बदले में आवास आवंटित होगा।

b. वैसे लाभार्थी जिन्हें सहायता राशि का भुगतान हो गया था किन्तु आवास निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया था एवं

वैसे मृत लाभार्थी जिनकी सहायता राशि का भुगतान होने के बाद आवास निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया किन्तु आवास पूर्ण होना बाकी है:-

i. प्रखण्ड स्तर से मृत लाभार्थी का बैंक खाता बन्द कराकर उसमें उपलब्ध राशि की वसूली कर State Nodal Account में जमा करायी जाएगी।

ii. यदि आवास की भूमि मृत लाभार्थी की चल सम्पत्ति है तथा भुगतान की गई सहायता राशि की वसूली नहीं हो सकती है।

मृत लाभार्थी के अगले संबंधी नातेदार परिवार, जो वैध उत्तराधिकारी नहीं हैं, को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए मृत लाभार्थी की वास भूमि इस शर्त के साथ अगले संबंधी नातेदार परिवार को दी जा सकती है कि उनके द्वारा मृत लाभार्थी को विमुक्त की गई राशि को वापस कर दिया गया हो तथा उसे State Nodal Account में जमा कर दिया गया हो।

<u>अथवा</u>

- मृत लाभार्थी के आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि उसी गाँव के भूमिहीन लाभार्थी को आवंटित की जाएगी।
- मृत लाभार्थी द्वारा भूमि पर आवास निर्माण प्रारंभ कर दिये जाने की स्थिति में उस भूमि को उसी गाँव के भूमिहीन लाभार्थी को आवंटित की जाएगी तथा इन्हें किश्तों में देय राशि का भुगतान निर्माण कार्य के स्तर की वास्तविक स्थिति को दृष्टिपथ रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।
- यदि गाँव स्तर पर कोई भूमिहीन लाभार्थी उपलब्ध नहीं है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित राजस्व कानून के अंतर्गत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मृत लाभार्थी को भुगतान की गई सहायता राशि की वसूली हेतु विक्री कर उसे State Nodal Account में जमा करायी जाएगी।
- मृत लाभार्थी से वसूली नही होने की स्थिति में दी गई सहायता राशि खराब ऋण (Bad Debt) मानकर लेखा बन्द किया जाएगा तथा इससे उत्पन्न दायित्व का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित हिस्सा के अनुसार किया जाएगा।

c. मृत लाभार्थी को भुगतान की गई सहायता राशि की वसूली होने तथा लाभार्थी के भूमिहीन होने के कारण भूमि आवंटित होने की स्थिति में।

i. ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगले वरीयतम वास भूमिहीन लाभार्थी को वास भूमि आवंटित की जाएगी।

ii. ग्राम पंचायत के अंतर्गत वास भूमिहीन लाभार्थी नहीं होने की स्थिति में भूमि आवंटित करने वाले प्राधिकार द्वारा भूमि कब्जा में कर लिया जाएगा।

d. वैसे मृत लाभार्थी जो भूमिहीन हैं और उसे भूमि आवंटित होना था तथा दी गयी साहयता राशि की वापसी होना संभव नहीं है वैसी स्थिति में दी गई सहायता राशि खराब ऋण (Bad Debt) कर लेखा बन्द किया जाएगा तथा इस वित्तीय भार को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए निधि का उपयोग के लिए निर्धारित हिस्सा के अनुसार वहन किया जाएगा।

III. मृत लाभार्थी के बदले में प्रतीक्षा सूची के अगले वरीयतम परिवार को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया उपर्युक्त कंडिका- II (a), (b) एवं (d) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जाएगी।

C. वैसे मृत लाभार्थी जिनके SECC ID में नाबालिग या अवयस्क पारिवारिक सदस्य प्रदर्शित हो रहे हैं।

तथा

D. वैसे मृत लाभार्थी जिनके परिवार में नाबालिग या अवयस्क पारिवारिक सदस्य है किन्तु SECC ID में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं।

I. निम्नांकित कागजात प्राप्त किए जाएगें:-

i. मृत लाभार्थी का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।

ii. मृत लाभार्थी या अवयस्क सदस्य का जन्म प्रमाण-पत्र।

iii. SECC डाटा में मृत लाभार्थी के SECC ID में मात्र नाबालिग या अवयस्क सदस्य प्रदर्शित होने का स्क्रीन शॉट (Screen Shot).

iv. नाबालिग या अवयस्क सदस्य के अभिभावक के रूप में चिन्हित व्यक्ति संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र।

अभिभावक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रखण्ड/गाँव के कर्मी/अधिकारी अभिभावक के रूप में नाबालिग या अवयस्क सदस्य के पक्ष में सहायता राशि प्राप्त कर आवास की पूर्णता कराने संबंधी प्रमाण-पत्र।

v. खास नाबालिग या अवयस्क सदस्य के नाम आवास आवंटन करने संबंधी अभिभावक द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र।

vi. नाबालिग या अवयस्क सदस्य का मृत लाभार्थी का पारिवारिक सदस्य होने तथा मृत लाभार्थी पर आश्रित होने संबंधी ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र जिसमें यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि मृत लाभार्थी पर आश्रित नाबालिग सदस्य अभिभावक के रूप में चिन्हित व्यक्ति के देख-भाल में रहते हैं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता राशि नाबालिग सदस्य के अभिभावक को हस्तांतरित किया जाएगा।

vii. यदि मृत लाभार्थी के SECC ID में नाबालिग या अवयस्क पारिवारिक सदस्य प्रदर्शित नहीं हो रहे हो तो मृत लाभार्थी के नाबालिग पारिवारिक सदस्य के द्वारा वैध उत्तराधिकारी के संबंध में सक्षम प्राधिकार से प्राप्त प्रमाण-पत्र। वैध उत्तराधिकारी भी मृत लाभार्थी के उपर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।

II. मृत लाभार्थी के नाबालिग सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का आवास आवंटित करने के लिए आवास सॉफ्ट पर निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

i. प्रखण्ड स्तर से प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

ii. प्रखण्ड स्तरीय अधिकृत कर्मी/अधिकारी द्वारा उपर्युक्त कंडिका D(I) में वर्णित कागजातों की वैधता सुनिश्चित की जाएगी।

iii. प्रखण्ड स्तरीय अधिकृत कर्मी/अधिकारी द्वारा उपर्युक्त कंडिका D(I) में वर्णित कागजातों को आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने के साथ ही मृत लाभार्थी के बदले में नाबालिग सदस्य का नाम सहित अभिभावक का नाम प्रस्तावित किया जाएगा।

iv. प्रखण्ड स्तरीय अधिकृत कर्मी/अधिकारी द्वारा नाबालिग /अभिभावक सें संबंधित विवरण (लाभार्थी के निबंधन के लिए वांछित विवरण सहित बैंक खाता का विवरण) को आवास सॉफ्ट पर प्रविष्टि की जाएगी।

v. प्रखण्ड स्तर से आरम्भ किए गए प्रस्ताव पर जिला के Login Id से अनुशंसा तथा राज्य स्तर से OTP के द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही मृत लाभार्थी के बदले वैध उत्तराधिकारी का नाम आवास सॉफ्ट पर पुर्नस्थापित होगा।

E. वैसे मृत लाभार्थी जिनके परिवार में सदस्य हैं तथा SECC ID में प्रदर्शित हो रहे हैं:-

- SECC ID के अनुसार मृत लाभार्थी के उपर आश्रित परिवार के एक से अधिक सदस्य होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया जाना होगा कि परिवार के किस सदस्य के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास आवंटित होगा (मृतक लाभार्थी के पति/पत्नी के मामले को छोड़कर)। इस निमित्त अन्य वैध उत्तराधिकारी से आवश्यक कागजात सहित / इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की परिवार के जिस सदस्य के नाम से आवास आवंटन किया जा रहा है उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, प्राप्त करना होगा।

I. निम्नांकित कागजात प्राप्त किए जाएगें:-

i. मृत लाभार्थी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।

ii. मृत लाभार्थी के SECC ID में परिवार के विवरण का स्क्रीनसॉट (Screen Shot).

iii. मृत लाभार्थी के SECC ID में उनके उपर आश्रित परिवार में एक से अधिक सदस्य होने की स्थिति में वैध उत्तराधिकारियों से खास वैध उत्तराधिकारी को आवास आवंटित किये जाने में सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

iv. मृत लाभार्थी के बदले चयन किये गये व्यक्ति, मृत लाभार्थी के उपर आश्रित वैध उत्तराधिकारी की सूची से होने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मृत लाभार्थी के बदले आवास आवंटित करने संबंधी ग्राम सभा की कार्यवाही।

II. मृत लाभार्थी के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास आवंटन संबंधी आवास सॉफ्ट पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्न रूप से होगी:-

i. प्रक्रिया का आरम्भ प्रखण्ड स्तर से किया जाएगा।

ii. उपर्युक्त बिंदु I के अनुसार प्राप्त किये गये कागजातों की वैधता प्रखण्ड स्तरीय अधिकृत कर्मी/अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

iii. प्रखण्ड स्तरीय अधिकृत कर्मी/अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित कागजातों को आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने के साथ ही मृत लाभार्थी के बदले नामित पारिवारिक सदस्य का नाम भी प्रस्तावित किया जाएगा।

iv. प्रखण्ड स्तरीय अधिकृत कर्मी/अधिकारी द्वारा नामित पारिवारिक सदस्य के संबंध में सभी विवरण (लाभार्थी के रूप में निबंधन हेतु वांछित विवरण सहित बैंक खाता का विवरण) आवास सॉफ्ट पर दर्ज की जाएगी।

v. प्रखण्ड स्तर से आरम्भ किये गये प्रस्ताव में जिला स्तरीय Login Id से अनुशंसा के उपरांत राज्य स्तर से OTP के माध्यम से अनुमोदित किये जाने के पश्चात् मृत लाभार्थी के नाम पर नामित पारिवारिक सदस्य का नाम प्रतिस्थापित होगा।

अत: भारत सरकार, ग्रामीण विकास मन्त्रालय से प्राप्त प्रासंगिक पत्र की प्रित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि मृत लाभार्थी के बदले आवास आवंटन हेतु उपर्युक्त बिंदुवार निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में जमीनी मंतव्य / सुझाव दिनांक- 20.01.2020 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)

सरकार के अपर सचिव

J-11014/01/2016-RH
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated : 18th September, 2019

To

The Additional Chief Secretary / Principal Secretary/Secretary
Department of Rural Development (dealing with PMAY-G),
All States / UTs

Subject : Death of beneficiaries of PMAY-G – Comments on the procedure to be adopted – Reg.

Sir,

I am directed to refer to Joint Secretary (Rural Housing) D.O. Letter bearing No. J-11014/01/2016-RH dated 1st April, 2019 regarding examining cases relating to death of beneficiaries of PMAY-G and allotting house to alternative beneficaries.

2. In this connection, it is stated that comments / suggestions have been received from different States / UTs with regard to the process to be adopted and documents that are required with regard to death of beneficaries. Based on the comments received from States/ UTs different scenarios have been identified with regard to the death of beneficiary which are as follows :-

A. Deceased beneficiary having family /nominee but not reflected in SECC household ID or the family details are showing as unknown.

B. Deceased beneficiary having no legal heir - family /nominee.

i. In case no payment is made to the beneficiary
ii. In case payment is made to the beneficiary and no construction was started
iii. In case payment is made to the deceased beneficiary and construction started and the house is yet to complete

C. Deceased beneficiary having minor family member and is reflecting in the SECC ID.

D. Deceased beneficiary having minor family member and is not reflecting in the SECC ID.

E. Deceased beneficiary having family members and are reflecting in the SECC ID.

3. With regard to the above identified scenarios, based on the comments received from the States / UTs, the following process / procedure is proposed to be adopted :-

A Deceased beneficiary having family but not reflected in SECC household ID or the family details are showing as unknown.

I The following documents need to be obtained :-

i. Death certificate of the deceased beneficiary to be obtained from Competent Authority
ii. Screenshot of SECC data showing that the deceased beneficiary has no family against his SECC ID.
iii. Legal Heir Certificate of family members from the competent authority in the State / UT. The legal heir so certified should be a dependent of the deceased beneficiary (except in the case of wife / husband of the deceased beneficiary)

iii. The official also ensures registration of the next srinor most household in the PWL on AwaasSoft.

iv. The proposal initiated at the block level need to be recommended at the District level using their login ID and approved at the **State Level (through an OTP)** wherein after the approval the name of the deceased beneficiary is deleted from PWL and the next senior most household in the PWL would be allotted house in lieu of the deceased beneficiary.

b. **In case payment is made to the beneficiary and no construction was started**

and

In case payment is made to the deceased beneficiary and construction started and the house is yet to complete

i. Process needs to be initiated at the village / block level for closing the bank account of the deceased beneficiary and recover the amount available in the bank account towards the payment made and the same to be deposited into SNA.

ii. If the land belongs to the deceased beneficiary and **the amount paid to the deceased beneficiary could not recovered.**

- The next kin of the deceased beneficiary who is not the legal heir can be given the land after following due procedure followed in the respective State / UT Government with a condition that the amount released to the beneficiary is paid back by the next kin and the same is deposited in SNA.

OR

- The land on which the house is proposed to be constructed may be allotted to the landless beneficiary, if any, in the village
- In case the deceased beneficiry had started construction of the house, the land on which the house construction has been started may be allotted to the landless beneficiary, if any, in the village. The instalments that can be given to the landless beneficiary may be decided based on the stage of construction.
- If there are no landless beneficiaries, the village / block officials may get the land sold after following due procedure as per respective revenue laws and the proceeds obtained may be utilised for recovering the amount paid to the deceased beneficiary and the same to be deposited into SNA.
- The amount that could not be recovered from the deceased beneficiary is to be treated as bad debts and to be written off and burden to be brone by Government of India and State Government in the proportion of the sharing pattern.

c. **If the amount paid to the deceased beneficiary is recovered and the land had been allotted to him as he was a landless beneficiary**

i. The land may be allotted to the landless beneficiary who is next in seniority, if any, in the Gram Panchayat.

ii. If there are no landless beneficiaries in the village, the land may be taken over by the alloting authority.

(236)

allotted (except in the case of wife / husband of the deceased beneficiary). Further, a document / NOC needs to be obtained from the other legal heirs that they have no objection in this regard.

I The following documents need to be obtained

i. Death certificate of the deceased beneficiary to be obtained from Competent Authority
ii. Screenshot of SECC data showing the family details of deceased beneficiary against his SECC ID.
iii. If there is more than one family member to the deceased beneficiary as per SECC ID who are dependent on him, a letter of consent / NOC from the legal heirs that the house can be allotted to a particular legal heir (except in the case of wife / husband of the deceased beneficiary).
iv. Gram Sabha resolution stating that the selected person is in the legal heir list, is dependent on the deceased beneficiary, and, PMAY-G house may be allotted him in lieu of the deceased beneficiary.

II Process that would be followed / incorporated in AwaasSoft for allotment of PMAY-G house to the family member of deceased beneficiary.

i. The process will be initiated at the Block level.
ii. The genuineness of the documents mentoined at Point I above shall be ascertained by the official designated at the Block level by the State / UT Govt.
iii. The designated official at the block level upload the documents mentoined at Point I on AwaasSoft and proposes the name of the nominated family member in lieu of the deceased beneficiary.
iv. The official also captures all the details of the nominated family member (Details that are required at the time of registration of the beneficiary including bank details) on AwaasSoft.
v. The proposal initiated at the block level need to be recommended at the District level using their login ID and approved at the State Level (through an OTP) wherein after the approval the name and other details of the nominated family member would be replaced in place of the deceased beneficiary in AwaasSoft.

4. Since States / UTs are the implementing agencies of the scheme of PMAY-G at the ground level, it is requested that the comments / suggestions on the above process evolved with regard to dealing with deceased beneficiareis may be furnished by 15th September, 2019 so that necessary action for implementing the same can be taken by Ministry of Rural Development in this regard.

Yours faithfully,

M. Rama Krishna

(M. Rama Krishna)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23071326